

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जाँच रिपोर्ट (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

प्रार्थी श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि.....

जाति..... निवासी..... ग्राम पंचायत

तहसील द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र की निम्नांकित कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। जांच अनुसार प्रार्थी के परिवार का मुखिया श्री / श्रीमती पुत्र/पत्नि..... है तथा प्रार्थी का परिवार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के तहत समावेश की श्रेणी के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में समावेश की पात्रता बाबत् उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में वर्णित निष्कासन श्रेणी (अपात्र संबंधी) संबंधित बिंदुओं बाबत् जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	निष्कासन श्रेणी (अपात्रता संबंधी)	जाँच रिपोर्ट (बिंदु संख्या 2 से 7 में हाँ अथवा नहीं भरे।
1	प्रार्थी समावेशन सूची की कौनसी श्रेणी में आता है :- अन्योदय/बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्नपूर्णा/सा.सु.योजना के पेंशनर /मनरेगा में 100 दिवस रोजगार करने वाले /भूमिहीन किसान/सीमांत किसान/लघु किसान/घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु जाति/वनाधिकार पटाधारक /पंजीकृत निर्माण श्रमिक/आस्था कार्ड धारी/एड़स पीडित परिवार/अन्य श्रेणी	(श्रेणी लिखे)
2	क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य आयकरदाता है ?	
3	क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी है अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है?	
4	क्या प्रार्थी के परिवार में से किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन है? (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता है)	
5	क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम/स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा (2 हेक्टेयर) से अधिक है ?	
6	क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक है?	
7	क्या प्रार्थी के परिवार के पास 2000 वर्ग फीट से अधिक माप का पक्का रिहायशी मकान है?	
8	प्रार्थी के परिवार का 12 अंकीय राशनकार्ड संख्या एवं सदस्य संख्या	
9	प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम :-	

प्रमाणीकरण

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त आवेदक के एनएफएसए अपील प्रार्थना पत्र की जाँच हमारे द्वारा आवेदक के निवास स्थान पर जाकर की गई है तथा जाँच के आधार पर कि आवेदक व उसके परिवार हेतु, उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 2 से 7 में वर्णित निष्कासन श्रेणी (अपात्र संबंधी) की उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने/नहीं करने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है।

(अनुशंसा : पात्र/अपात्र)

(अनुशंसा : पात्र/अपात्र)

(अनुशंसा : पात्र/अपात्र)

ग्राम विकास अधिकारी.....

सरपंच.....

पटवारी